अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण,

GORAKHPUR INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

स्थिति पत्रक

दिनांक 31-12-2020

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर 273212 दूरभाष संख्या (0551) 2580010, फैक्स (0551) 2580020

Website: www.gidagkp.in Email: ceogida-up@up.gov.in

गीडा द्वारा किये जा रहे कार्य कलापों का विवरण।

1.	गीडा की स्थापना	समग्र एवं सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु उ० प्र० शासन द्वारा ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा—3
2.	अधिसूचित ग्राम	के अन्तर्गत 30 नवम्बर, 1989 में किया गया था। योजना के विकास हेतु कुल 99 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये है।
3.	गीडा विकास योजना	गीडा विकास योजना 2012—2032 (डेवलपमेन्ट प्लान) के अन्तर्गत तहसील—सहजनवॉ एवं सदर के अधिसूचित 78 ग्रामों की लगभग 13,135.00 एकड़ भूमि वर्ष—2032 तक अधिग्रहित कर समग्र अवस्थापना सुविधाओं के साथ विकसित की जानी प्रस्तावित है। गीडा के विस्तारीकरण हेतु तहसील—गोला के अन्तर्गत 18 नये ग्रामों की अधिसूचना वर्तमान विकास योजना से लगभग 35 किमी० की दूरी पर स्थित है, की अधिसूचना दिनांक 02—09—2019 को जारी हुई है। गीडा के तकनीकी सलाहाकार मै० ई० एण्ड वाई० से आर०एफ०पी० तैयार कराकर निविदा के माध्यम से कार्यदायी संस्था मै० रूद्राभिषेक इण्टरप्राइजेज लि० को कार्य आवंटित किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था द्वारा डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किया जा रहा है।
4.	विकास योजना में कुल सेक्टरों का विवरण।	वर्तमान में लागू विकास योजना को 32 सेक्टरों में विभक्त किया गया है, जिसमें 11 सेक्टर आवासीय, 4 आवासीय/व्यवसायिक, 1 आवासीय/ औद्योगिक, 1 ट्रांसपोर्ट नगर/व्यवसायिक, 2 संस्थागत, 1 संस्थागत/व्यवसायिक एवं 12 सेक्टर औद्योगिक उपयोग हेतु प्राविधानित है।
5.	अधिग्रहित भूमि	वर्तमान समय में गीडा द्वारा अधिग्रहित एवं समझौते से लगभग 1900.00 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है।
6.	विकसित भूमि	अब तक गीडा द्वारा लगभग 1574.00 एकड भूमि विकसित कर ली गयी है।
7.	आवंटित भूमि	अब तक गीडा द्वारा लगभग 1201.00 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।

2. भूमि अधिग्रहण अनुभाग

गीडा द्वारा वर्तमान समय में गीडा द्वारा अधिग्रहित एवं समझौते से लगभग 1900. 00 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। तथा गीडा द्वारा अन्य प्रेषित भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों तथा समझौते से भूमि अर्जन की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है :—

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	अधिग्रहण हेतु प्रेषित क्षेत्रफल (एकड़ में)	एस0एल0ए0ओ0 को दी गयी धनराशि (रु0 में)	अभ्युक्ति (दिनांक 31.12.2020 तक)	वर्तमान स्थिति
1	हरैया कानूनगो (औद्योगिक प्रयोजन हेतु)	94.76	59,49,000.00 2,08,22,200.00 86,50,000.00 4,50,00000.00 9,50,63,836.00	इस ग्राम में अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये दिनांक 24—02—2016 को अभिनिर्णय घोषित किया गया है। 42.74 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। 52.02 एकड भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है।	अधिग्रहण से प्रभावित कास्तकारों से गॉवों में जाकर स्थगन आदेश वापस लेने के लिये एवं प्रतिकर की धनराशि उठाने/प्राप्त करने हेतु वार्ता/अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास कार्य भी किया जा रहा है।
2	कालेसर (औद्योगिक प्रयोजन हेतु)	97.19	82,96000.00 2,90,35,734.00 1,35,75,000.00 1,50,00000.00 5,99,95,384.00	इस ग्राम में अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये दिनांक 21–03–2016 को अभिनिर्णय घोषित किया गया है। 67.45 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। 29.95 एकड भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है।	अधिग्रहण से प्रभावित कास्तकारों से कई—बार स्थगन आदेश वापस लेने के लिये एवं प्रतिकर की धनराशि उठाने के लिये वार्ता / अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ कब्जा प्राप्त भूमि पर विकास कार्य भी किया जा रहा है।
3	बड़गहन (संस्थागत प्रयोजन हेतु)	49.14	44,43,300.00 1,54,80,115.00 1,68,97,185.00 1,57,94,300.00 1,43,93,655.00 4,57,63,368.00	इस ग्राम में अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये दिनांक 26—02—2016 को अभिनिर्णय घोषित किया गया है। 37.06 एकड़ भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। 12.08 एकड भूमि पर मा0 उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है। कब्जा प्राप्त भूमि में से ही 22.58 एकड भूमि सशस्त्र सीमा बल को आवंटित किया जा चुका है।	प्रतिकर प्राप्त किया गया हैं, अवशेष काश्तकारों से भी प्रतिकर प्राप्त करने हेतु वार्ता की जा रही
4.	झुगिया एवं रावतपार (संस्थागत प्रयोजन हेतु)	182.97	8,65,66,466.00	नये अधिग्रहण नियमावली के अन्तर्गत पुनः भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्राधिकरण के पत्र संख्या 295 व 297 दिनांक 08—05—2017 के माध्यम से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गीडा को प्रेषित किया गया था। कतिपय	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा समाजिक सामाधात अध्ययन हेतु समिति का गठन करा कर विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जा चुका है। निविदा के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा

	1	1			
				आपित्तयों सहित दिनांक 23–08– 2017 को पत्रावली वापस प्राप्त हो गयी हैं। उक्त आपित्तयों का तहसील–सहजनवॉ स्तर से निराकरण कर पुनः पत्रावली / प्रस्ताव पत्र संख्या 2266 एवं 2269 दिनांक 10–11–2017 को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।	अध्ययन की कार्यवाही
5.	बड़गहन (संस्थागत प्रयोजन हेतु)	0.12	42,600.00	अधिग्रहित भूमि के बीच में छूटे हुये भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव प्राधिकरण के पत्र संख्या 296 दिनांक 08—05—2017 के माध्यम से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गीडा को प्रेषित किया गया था। कतिपय आपत्तियों सहित दिनांक 23—08— 2017 को पत्रावली वापस प्राप्त हो गयी हैं। उक्त आपत्तियों का तहसील—सहजनवॉ स्तर से निराकरण कर पुनः पत्रावली / प्रस्ताव पत्र संख्या 2268 दिनांक 10—11—2017 को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।	के माध्यम से लिये जाने हेतु प्रभावित कास्तकारों से वार्ता की जा रही है।
6.	एकला (आवासीय प्रयोजन हेतु)	105.87	_	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्राधिकरण के पत्र संख्या 3006 दिनांक 25—03—2017 के माध्यम से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गीडा को प्रेषित किया गया था। कितपय आपित्तयों सहित दिनांक 23—08— 2017 को पत्रावली वापस प्राप्त हो गयी हैं। उक्त आपित्तयों का तहसील—सहजनवॉ स्तर से निराकरण कर पुनः पत्रावली / प्रस्ताव पत्र संख्या 2267 दिनांक 10—11—2017 को प्रस्ताव प्रेषित किया जा चुका है।	अधिकारी द्वारा समाजिक सामाधात अध्ययन हेतु समिति का गठन करा कर विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया जा चुका है। निविदा के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा समाजिक सामाधात अध्ययन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
7.	मल्हीपुर (औद्योगिक प्रयोजन	98.39	_	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्राधिकरण के पत्र संख्या 2950 दिनांक 06–01–2018	अधिकारी द्वारा समाजिक

हेतु)	के माध्यम से विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गीडा को प्रेषित किया जा चुका है।	

उपर्युक्त के अतिरिक्त आलोच्य वित्तीय वर्ष में औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम—भीटीरावत में किसानों से समझौते के आधार पर 142.00 एकड़ भूमि को क्रय करने हेतु शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गठित समिति से दर निर्धारण कराकर क्रय कर लिया गया है। जिसमें से लगभग 100.00 एकड़ भूमि क्रय भी की जा चुकी है, उक्त ग्राम में क्रय की जा रही भूमि के सटे ही लगभग 65.00 एकड़ भूमि क्रय किया जाना प्रस्तातिव है। इसी प्रकार व्यवसायिक प्रयोजन हेतु भी ग्राम—कालेसर में लगभग 130.00 एकड़ भूमि क्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें से अब तक लगभग 55.00 एकड़ भूमि क्रय की जा चुकी है।

ग्राम—अड़िलापार में सी०ई०टी०पी० की स्थापना हेतु लगभग 11.00 एकड़ भूमि चिन्हित की गयी थी जिसका भी बैनामा कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त गीडा में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिये गीडा के अधिसूचित क्षेत्र में 18 अन्य राजस्व ग्रामों को भी सम्मिलित किया गया है। जिसके विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।

औद्योगिक गलियारा हेतु प्रस्तावित— गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित ग्रामों के अन्तर्गत ग्राम भगवानपुर एवं नरकटहां के समीप गुजरने वाली गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनो तरफ औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेत् शासन के निर्देशों के दृष्टिगत् शासनादेश सं0-1453 / 77-3-2020-163 (एम) / 2015 दिनांक 24 जुलाई, 2020 के साथ संलग्न शासनादेश सं0 314 / 77-3-16-163 (एम) / 2015 दिनांक 23 फरवरी, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ग्राम–भगवानपुर एवं नरकटहां तहसील-सहजनवां, जिला-गोरखपुर में समझौते से किसानो की भूमि क्य किये जाने के लिये चिन्हित की गयी भूमि क्रमशः रकबा 45.7396 हे0 व रकबा 109.660 हे0 इस प्रकार (कुल 2 ग्रामों की) 155.3996 हे0 भूमि के दरों का निर्धारण दिनांक 14.12.2020 की बैठक में अनुमोदित किया गया है। उक्त प्रस्तावों में ग्राम-भगवानपुर में लगभग 90 कास्तकारों द्वारा लगभग 8.00 हे0 भूमि पर, एवं नरकटहां में लगभग 35 कास्तकारों द्वारा लगभग 7.5 हे0 पर अपनी भूमि गीडा के पक्ष में रजिस्ट्री बैनामा करने के दृष्टिगत अपनी सहमति प्रस्तुत की गयी है, प्राप्त सहमतियों का शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दो समाचार पत्रो मे दिनॉक 16.12.2020 को प्रकाशित कराया गया। प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में प्राप्त सहमतियों पर आपत्ति प्राप्त होने पर निस्तारण करते ह्ये 1 जनवरी 2021 से बैनामा / रजिस्ट्री की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा पुनः दिनांक 12.01.2021 को सहमत प्राप्त किसानों का विज्ञापन प्रकाशन कराया गया है। बैनामा / रजिस्ट्री की कार्यवाही निरन्तर चल रही है।

ग्राम—पिपरा एवं तेनुहारी में 109.582 हे0 (270.78 एकड) भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गीडा को इस कार्यालय के पत्र संख्या—2111 दिनांक—12. 01.2005 के माध्यम से भेजा गया। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गीडा द्वारा लगाये गये आपित्तयों के निस्तारण के उपरान्त पत्र संख्या—2239 दिनांक—03.02.2005 को संशोधित प्रस्ताव 110.340 हे0 (272.648 एकड) का प्रेषित किया गया। उक्त प्रस्ताव में शासन स्तर से 272.65 एकड की धारा में 4(1)/17 की विज्ञप्ति दिनांक—22.05.2006 को एवं 270.35 एकड भूमि के धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति दिनांक—22.06.2007 को अर्जेन्सी क्लाज के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत की गयी। जिसके कारण धारा 5 ए के अन्तर्गत प्रभावित कास्तकारों को सुनवाई का अवसर समाप्त हो गया। उक्त दोनो ग्रामों में गीडा को 270.35 एकड़ भूमि का कब्जा दिनांक—10.12.2007 व 16.07.2009 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त कराया गया। जिसका अभिनिर्णय दिनांक—03.07.2008 को प्रतिकर की कुल धनराशि रु० 9,01,98,796.83 घोषित किया गया है। जिसके सापेक्ष प्रभावित कुल 1086 किसानों में से 325 किसानों द्वारा रु० 2,78,17,184.00 का भुगतान प्राप्त कर लिया गया है।

प्रश्नगत भूमि में से 132.38 एकड़ मैसर्स जालान जी पालीटेक्स को दिनांक 19.06. 2009 तथा 50 एकड़ भूमि मैसर्स अम्बा फाइबर्स को दिनांक 26.03.2010 को एवं अवशेष 87.97 एकड़ के आंशिक भाग पर गीडा द्वारा कुल 42 भूखण्डों का आवंटन किया गया है जिसका क्षेत्रफल लगभग 29.35 एकड है। इस प्रकार अर्जित भूमि 270.35 एकड़ के सापेक्ष 211.73 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है।

ग्राम पिपरा एवं तेनुहारी के कुल 16 रिट याचिकायें एवं जालान जी पालीटेक्स की रिट याचीका को एक साथ सम्बद्ध कर बन्च केस के रूप में रिट याचिका सं0 29011 / 2012 ब्रम्हदेव यादव वनाम उ०प्र० सरकार व अन्य को लिडिंग केस बनाकर उसमें दिनांक 07.07.2017, 17.07.2017, 27.07.2017, 31.07.2017 व 03.08.2017 को सुनवाई की गयी। दिनांक 27.07.2017 को राज्य सरकार की मूल पत्रावली को तलब कर मा0 न्यायालय द्वारा स्वयं निरीक्षण किया गया तथा यह टिप्पणी की गयी कि अर्जेंसी क्लाज के अन्तर्गत विज्ञप्ति क्यो की गयी है, इसका कोई उल्लेख पत्रावली में नहीं है एवं गीडा का भौतिक कब्जा भी नहीं है। पुनः दिनांक 03.08.2017 को अपने आदेश में अर्जेन्सी क्लाज लगाये जाने का औचित्य समुचित न पाने व धारा 5 ए भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत किसानों को सुनवाई का अवसर न देने के कारण विज्ञप्ति धारा 4(1)/17 एवं धारा 6(1) / 17 को निरस्त कर दिया गया। गीडा के अधिवक्ता द्वारा काफी बहस करने एवं प्रयास पर मा० न्यायालय द्वारा यह भी आदेशित किया गया कि यदि राज्य सरकार चाहे तो प्रश्नगत भूमि को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रविधानों के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण कर 3 माह के अन्तर्गत भुगतान कर भूमि को ले सकती है। प्रश्नगत प्रकरण में मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने अथवा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से शासन से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेत् अनुरोध किया गया था।

उपर्युक्त के क्रम में संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास, अनुभाग—3, उ० प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 2123/77—3—17—99िरट/17 दिनांक 18—10—2017 एवं उक्त पत्र के साथ संलग्न अपर विधि परामर्शी, न्याय (रिट विधि मंत्रणा) अनुभाग—6, उ० प्र० शासन, लखनऊ के माध्यम से अवगत कराया गया है कि रिट याचिका संख्या 29011/2012 ब्रहमदेव एवं 15 अन्य बनाम उ० प्र० राज्य व अन्य में संविधान की धारा 136 के अन्तर्गत मा० उच्चतम न्यायालय, नई—दिल्ली में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने

का निर्देश दिया गया। तद्कम में दिनांक 03—11—2017 को गीडा की ओर से मा0 उच्चतम न्यायालय, नई—दिल्ली में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की जा चुकी है एवं जिला प्रशासन द्वारा भी एस0एल0पी0 दाखिल कर दिया गया है। उक्त एस0एल0पी0 पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 22—01—2018 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03—08—2017 को स्थास्थिति करते हुये नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया हैं। तद्कम में मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विपक्षीगणों पर तामिला हेतु गीडा द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये पैरवी की जा चुकी हैं जिसे मा0 न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

3. विधि अनुभाग

गीडा के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में योजित वादों की स्थिति निम्नवत् है :-

		मा० उच्चतम न्यायालय, न	ई–दिल्ली	
क्रमांक	विशेष अनुज्ञा याचिका	विषय	कृत कार्यवाही	अभ्युक्ति
1.	01	ग्राम—पिपरा एवं तेनुहारी में अधिग्रहण हेतु विज्ञप्ति धारा 4 एवं 6 भूमि अधिग्रहण अधिनियम को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निरस्तीकरण आदेश दिनांक 03—08—2017 के विरुद्ध।	शासन के निर्देश के कम में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है जिसमें मा0	
2.	10	औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन निरस्तीकरण आदेश के		_

विरुद्व । विज्ञापन कराया का गया। जिसके सापेक्ष तद्समय गीडा उपलब्ध ८३ भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया। आवंटन उक्त शिकायत पर शासन द्वारा आवंटन के प्रक्रिया की जॉच करायी गयी। उक्त जॉच के आधार पर प्राधिकारी बोर्ड द्वारा 83 भूखण्डों के आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। द्वारा गीडा उक्त अनुपालन में उपर्युक्त वर्णित ८३ भूखण्डों का आवंटन निरस्त कर दिया गया। गीडा के उक्त आदेश के विरुद्व कतिपय आवंटियों द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दाखिल की गयी थी। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05-09-2019 को आवंटियों के याचिका को खारिज कर दिया गया । मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 05-09-2019 के विरुद्ध प्रश्नगत याचिका दाखिल है. जो विचाराधीन है। गीडा

मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

की तरफ से प्रभावी पैरवी की जा रही है।

क्रमांक	की संख्या		कृत कार्यवाही अभ्युक्ति
1.	59		56 में प्रतिशपथ पत्र विचाराधीन
		से संबंधित।	दाखिल किया जा चुका
			है, शेष 03 में दाखिल
			करने की कार्यवाही की
			जा रही है।
		मा० जिला जज, गोर	
क्रमांक	वादों की संख्या		कृत कार्यवाही अभ्युक्ति
1.	130		तजबाबदेही दाखिल करविचाराधीन
		रिफरेन्स वाद	प्रभावी पैरवी की जा रही
			है
	माo f	सेविल जज, गोरखपुर (वरिष्ठ र	वृण्ड)/कनिष्ठ खण्ड
1.	13		ते01 वाद में जबाबदेही विचाराधीन
		संबंधित।	दाखिल किया जाना
			प्रकियान्तर्गत है शेष में
			दाखिल है।
	मा0	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष	। आयोग, लखनऊ
1.		। आवंटन से संबंधित।	प्रश्नगत वाद में गीडाविचाराधीन
	द्वारा		द्वारा अपील की गयी है
			जिसमें गीडा के पक्ष में
			स्थगन आदेश पारित है।
		मा. जिला उपभोक्ता विवाद प्रति	ातोष, गोरखपुर
1.	03	आवंटन से संबंधित।	जबाबदेही सभी मेंविचाराधीन
			दाखिल है।

4. अभियंत्रण अनुभाग

अवस्थापना विकास एवं उच्चीकरण का कार्य

नया विकास

• गीडा के सेक्टर—13 में अर्जित एवं अविकसित 200 एकड़ भूमि में विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु रूपये 45.00 करोड़ का आगणन स्वीकृत किया गया है। साईट पर किसानों द्वारा मुआवजा को लेकर विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण विकास कार्य अपेक्षित गित से नहीं हो पा रहा है। प्रशासन के सहयोग से 36 मीटर एवं 50 मीटर चौड़ाई के मुख्य सेक्टर मार्गों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है, जो कि प्रगित में है। कुछ पॉकेट में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है, जिसे निस्तारित कराने हेतु पैरवी की जा रही है।

• भीटीरावत गांव में 207 एकड़ भूमि कृषकों से सीधे क्रय की जा रही है। लगभग 100 एकड़ भूमि की रिजस्ट्री भी हो चुकी है। विकास कार्य हेतु साईट स्थल का मृदा परीक्षण, सर्वें, डिमार्केशन एवं आगणन गठित किये जाने का कार्य प्रगति में है। विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया 15 फरवरी तक सम्पन्न कर ली जाएगी।

विकास एवं अनुरक्षण व अवस्थापना कोष से प्राप्त धनराशि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	कार्य	स्वीकृति आगणन	वित्तीय प्रगति
		(लाख में)	(लाख में)
1	गीडा के विकास कार्य।	5007.21	799.04
2	अवस्थापना निधि के अर्न्तगत स्वीकृति कार्य।	4216.36	1603.50
3	अनुरक्षण कार्यः-सिविल/विद्युत	553.56	398.76

उपरोक्त कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्न है।

कामन इफ्ल्यूएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (सी०ई०टी०पी०)

क्रमांक	विवरण	धनराशि (रु. करोड़ में)
	डी0पी0आर0की लागत	62.50
	वित्त-पोषण	
1	राज्य सरकार का अंशदान	20.00
2	गीडा का अंशदान	17.00
3	अवशेष धनराशि के वित्त—पोषण हेतु नमामि गंगे को प्रस्ताव प्रेषित।	25.50

प्रगति :—मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सी०ई०टी०पी० की डी०पी०आर० राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन०एम०सी०जी०) में जॉच हेतु दिनांक 01—01—2021 को प्रेषित की गयी है।

5. नियोजन अनुभाग

गीडा में प्राप्त, स्वीकृत, निरस्त एवं प्रक्रियान्तर्गत मानचित्रों की स्थिति (दिनांक 01.02.2019 से दिनांक 20.01.2021 तक)

कुल प्राप्त मानचित्रों की संख्या	स्वीकृत मानचित्रों की संख्या	निरस्त मानचित्रों की संख्या	प्रक्रियान्तर्गत मानचित्रों की
			संख्या
417	341	07	69

6. सम्पत्ति अनुभाग

गीडा के विभिन्न योजनाओं में आवंटन, स्थापित / निर्माणाधीन इकाईयों की दिनांक 25—06—2020 तक का संक्षिप्त विवरण

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की औद्योगिक योजना—2020 के अन्तर्गत 67 भूखण्डों के माध्यम से 26 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस योजना से उद्यमियों द्वारा गीडा क्षेत्र में लगभग रू० 252.89 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है, जिससे लगभग 2461 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

औद्योगिक भूखण्ड योजना—2021 के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र भीटी रावत सेक्टर—26 में 39 भूखण्ड लाये गये हैं, बड़े भूखण्डों की उद्यमियों द्वारा मांग की जा रही थी। अतः योजना का प्रकाशन दिनांक 09.01.2021 तथा समाप्ति दिनांक 13.02.2021 है, जिसके अन्तर्गत न्यूनतम लगभग 01 एकड़ तथा अधिकतम लगभग 25 एकड़ क्षेत्रफल के भूखण्ड प्रस्तावित हैं।

क्र. सं.	योजना का नाम	आवंटित भूखण्डों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	क्षेत्रफल (एकड़ में)	आवंटित भूखण्डों का प्रीमियम (रु० लाख में)	उत्पादनरत / निर्मित इकाईयों की संख्या	निर्माणाधीन इकाईयों की संख्या	बाउन्ड्री वाल	निर्माण से रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	औद्योगिक भूखण्ड	808	3621136.24	894.77	32313.53	526	58	26	198
2	संस्थागत भूखण्ड	26	775430.80	191.61	3121.25	20	2	3	1
3	ट्रांसपोर्ट नगर	614	144699	35.75	3290.43	408	104	10	92
4	न्यू गोरखपुर आवासीय योजना	598	82288.60	20.34	1205.47	314	102	24	158
5	सहजनवॉ आवासीय योजना	632	85941.33	21.23	5901.54	152	43	31	409
6	व्यावसायिक	837	130524	32.26	8575.97	242	52	26	517
	योग	3515	4840019.97	1195.96	54408.19	1662	361	120	1375

गीडा औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित पूँजी निवेश

क्र. सं.	नाम	प्रोजेक्ट	सम्भावित निवेश (करोड में)	अद्यतन स्थिति।
1.	मेसर्स अंकुर उद्योग, श्री अशोक जालान	स्टील प्लान्ट	450.00	आवेदक के पक्ष में 82 एकड़ भूखण्ड आवंटित है। इकाई द्वारा गीडा कार्यालय में मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु आवेदन किया गया है। मानचित्र स्वीकृत कर दिया गया है। उद्योग स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
2.	मैसर्स एस0डी0 इन्टरनेशनल	फूड पैकेजिंग कन्टेनर इत्यादि।	50.00	आवंटित भूखण्ड पर प्रथम चरण की इकाई स्थापित करते हुये उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हैं।
3.	श्री अमर तुलस्यान	डायपर एण्ड नैपकिन	125.00	आवंटित भूखण्ड पर प्रथम चरण की इकाई स्थापित करते हुये उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हैं।
4.	मैसर्स आदित्य मोटर प्रा0 लि0, श्री राजू कुमार जायसवाल	कामर्शियल गाडियों का फेबिकेशन एवं सर्विसिंग	50.00	आवंटित भूखण्ड पर इकाई उत्पादनरत है।
5.	मैसर्स क्रेजी बेकरी उद्योग, श्री नवीन अग्रवाल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	40.00	आवंटित भूखण्ड पर इकाई उत्पादनरत है। उक्त के अतिरिक्त रु. 20.00 करोड़ का पूँजी निवेश और प्रस्तावित है।
6.	मैसर्स इण्डिया ग्लाइकोल्स लि.	एथेनाल / एल्कोहल	80.00	आवंटित भूखण्ड पर इकाई का विस्तारीकरण निर्माण कार्य पूर्ण कर उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है।
7.	श्री एहसान करीम खॉ	माडुलर फर्नीचर	12.00	आवंटित भूखण्ड पर इकाई उत्पादनरत है।
8.	मैसर्स स्पलाईस लेमिनेट प्राo लि0 श्री एहसान करीम खॉ	लेमिनेट	20.00	आवंटित भूखण्ड संख्या एफ–5, सेक्टर–15 पर इकाई निर्माणाधीन है।
9.	मैसर्स स्पलाईस लेमिनेट प्राo लि0 श्री एहसान करीम खॉ	डिजाईनर डोर	15.00	आवंटित भूखण्ड संख्या ए—1/28, सेक्टर—15 पर इकाई निर्माणाधीन है।
10	श्री आकाश जालान	हार्ड वेयर इण्डस्ट्रीज	11.00	आवंटित भूखण्ड पर इकाई उत्पादनरत है।
11	मैसर्स मोदी केमिकल्स श्री प्रवीन मोदी	आक्सीजन गैस, नाईट्रोजन सी0ओ0—2 ,ड्राई	8.00	आवंटित भूखण्ड पर इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हैं।

		आईस आदि।		
12	श्री उमेश छापडिया	कैटल फीड	6.00	आवेदक के पक्ष में भूखण्ड आवंटित कर दिया गया हैं।
13	मैसर्स गैलेन्ट इस्पात लि0, श्री सी0पी0	सीमेन्ट प्लान्ट	117.00	पूर्व से उपलब्ध भूखण्ड के उप विभाजन की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है। उप विभाजित भूखण्ड पर इकाई प्रस्तावित है।
	अग्रवाल			
		योग—	984.00	

गीडा क्षेत्र में संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण।

1. एस0एस0बी0 सेक्टर हेड क्वार्टर एवम् कम्पोजिट हॉस्पिटल की स्थापना

एस0एस0बी0 द्वारा सेक्टर—7 (ग्राम—बड़गहन) में एस0एस0बी0 सेक्टर हेड क्वार्टर एवम् कम्पोजिट हास्पीटल की स्थापना हेतु दिनांक 21.01.2014 को 22.58 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है। संस्था एवं गीडा के मध्य लीज डीड की कार्यवाही दिनांक 01—11—2017 को सम्पन्न कर ली गयी है। संस्था द्वारा दिनांक 14.09.2020 को कब्जा ले लिया गया है।

2. <u>मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट की</u> स्थापना हेतु भूमि का आवंटन।

मैसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा गीडा के औद्योगिक क्षेत्र में एल0पी0जी0 बाटलिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु लगभग 38.50 एकड़ भूमि आवंटन की मॉग के कम में कार्पोरेशन के पक्ष में दिनांक 07—06—2014 को आवंटन पत्र निर्गत करते हुये पट्टा विलेख की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। उक्त आवंटन के फलस्वरुप गीडा को रु0 40,98,14,697.00 की आय प्राप्त हुई है। कार्पोरेशन द्वारा बाटलिंग प्लान्ट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, दिनांक 18—09—2019 को मा0 पेट्रोलियम मंत्री, भारत सरकार तथा मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0 प्र0 द्वारा इकाई का लोकार्पण भी किया जा चुका हैं।

3. <u>मैसर्स अंकुर उद्योग प्रा0 लि0, गोरखपुर द्वारा लगभग 450 करोड के पूँजी</u> निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट एवं कैपटिव पावर प्लान्ट की स्थापना।

मैसर्स अंकुर उद्योग प्रा0 लि0, गोरखपुर के पक्ष में 82 एकड़ भूमि का आवंटन दिनांक 10—12—2010 को कर दिया गया है। इस इकाई द्वारा लगभग 450 करोड के पूँजी निवेश से इंटीग्रेटेड स्टील प्लान्ट एवं कैपटिव पावर प्लान्ट की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित इकाई में प्रत्यक्ष रुप से लगभग 1000 लोंगों को रोजगार सुलभ होगा। भूखण्ड आवंटन के विरुद्व मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के

कारण विगत कई वर्षो तक भूखण्ड पर यथास्थिति बनाये रखने के कारण इकाई स्थापित नहीं हो सकी। वर्तमान में समस्त वादों का निस्तारण हो चुका है अब कोई विधिक कार्यवाही लम्बित नहीं है। इकाई को भौतिक कब्जा हस्तगत करा दिया गया है तथा गीडा कार्यालय से मानचित्र स्वीकृत करा लिया गया है तथा उद्योग स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

4. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) क्षेत्र में सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना।

गीडा प्राधिकारी बोर्ड की 44वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में गीडा की ट्रांसपोर्ट नगर योजना, सेक्टर—22 में राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप पार्किंग हेतु आरक्षित 4200 वर्गमीटर के भूखण्ड (भू०सं० पी—1) का निःशुल्क आवंटन पत्र संख्या 27 दिनांक 02—07—2015 के माध्यम से सम्भागीय / सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना हेतु निर्गत कर दिया गया है। दिनांक 20—07—2015 को लीजडीड भी निष्पादित कर दी गयी है एवं दिनांक 21—07—2015 को भूखण्ड का कब्जा भी हस्तगत करा दिया गया हैं। आवंटित भूखण्ड पर परिवहन विभाग द्वारा निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। माह जुलाई, 2020 से कार्यालय प्रारम्भ होना सम्भावित है।

5. गीडा क्षेत्र के सेक्टर संख्या-7 में आई0टी0 पार्क की स्थापना।

गीडा क्षेत्र में आई०टी० पार्क की स्थापना हेतु मैसर्स यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन, लखनऊ के पक्ष में संस्थागत भूखण्ड संख्या बी०एल०—4 एवं 5 क्षेत्रफल लगभग 14,500 वर्गमीटर का भूखण्ड दिनांक 12—08—2016 को आवंटित किया गया था। आवंटित भूखण्ड का लीज डीड दिनांक 30—05—2017 को निष्पादित करते हुये दिनांक 08—06—2017 को उप निबन्धक, सहजनवाँ के कार्यालय में पंजीकृत कराते हुये दिनांक 16—06—2017 को कार्पोरेशन के पक्ष में भूखण्ड का कब्जा हस्तगत करा दिया गया है। कार्पोरेशन के अनुसार उक्त भूखण्ड साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क ऑफ इंडिया (एस०टी०पी०आई०), नई दिल्ली को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उक्त संस्था द्वारा ही भूखण्ड पर आई०टी० पार्क की स्थापना की जायेगी। जिसके कम में कार्पोरेशन द्वारा एस०टी०पी०आई० के पक्ष में दिनांक 22—06—2017 को सब—लीज की कार्यवाही भी सम्पन्न हो चुकी है। संस्था का मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है तथा उक्त संस्था द्वारा भूखण्ड पर निर्माण कार्य कराया जा रहा हैं।

6. गीडा क्षेत्र में कामन इफलूएण्ट ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट (सी0ई0टी0पी0) की स्थापना।

सी0ई0टी0पी0 की स्थापना हेतु अद्यतन स्थिति के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 22 से 24—01—2020 तक नमामी गंगे की तकनीकी समिति द्वारा कार्यदायी संस्था जल निगम, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर तथा गीडा के अधिकारियों के साथ स्थल भ्रमण एवं उद्योगों का निरीक्षण किया गया है। उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ नमामी गंगे की तकनीकी समिति द्वारा बैठक भी किया जा चुका है। बैठक की कार्यवृत्त

दिनांक 12—03—2020 प्राप्त हो चुकी है। कार्यवृत्त में सी०ई० टी०पी० के संचालन हेतु एस०पी०वी० बनाने, उद्योगों के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित करने तथा सी०ई०टी०पी० के संचालन एवं रख—रखाव हेतु रेवेन्यु मॉडल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। इस सम्बन्ध में कम्पनी सेक्रेटरी/कन्सल्टेन्ट की सहायता से गीडा एवं कार्यदायी संस्था जल निगम द्वारा एन०एम०सी०जी० के सुझावों के अनुरुप प्रस्ताव तैयार कराने की कार्यवाही की जा रही है। यह भी अवगत कराना है कि सी०ई०टी०पी० स्थापित किए जाने हेतु ग्राम—अङ्गिपार गीडा में 11.15 एकड़ भूमि क्रय कर लिया गया है।

7. गीडा क्षेत्र के सेक्टर-7 में 1 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना।

गीडा प्रशासनिक कार्यालय सेक्टर—7 के निकट विद्युत गलियारे हेतु रिक्त अनुपयोगी लगभग 11,754.00 वर्गमीटर भूमि को सौर ऊर्जा पार्क एवं हरित पार्क विकसित करने हेतु 25 वर्षो हेतु लीज पर देने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आफर में सर्वाधिक दर रु. 126.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष देने वाले फर्म मैसर्स सॉयलेन्ट ग्रीन एनर्जी प्रा० लि०, गोरखपुर के पक्ष में आवंटित किया गया है। फर्म द्वारा उक्त भूमि पर 1 मेगावाट से अधिक का सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जायेगा, साथ ही उक्त भूमि पर हरित पार्क भी विकसित किया जायेगा, जिसका उपयोग जनमानस द्वारा किया जा सकेगा। उक्त भूखण्ड को लीज पर देने से गीडा को लगभग रु. 14.81 लाख वार्षिक आय होगी जिसमें आगामी वर्षो में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्वि भी प्राविधानित है। फर्म के साथ लीज डीड की कार्यवाही दिनांक 29—08—2019 को सम्पन्न हो चुकी है तथा दिनांक 17—09—2019 को भूमि का कब्जा भी हस्तगत किया जा चुका है। फर्म द्वारा स्ट्रक्चर का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

7. वित्त अनुभाग बजट के सापेक्ष आय—व्यय का विवरण। (वित्तीय वर्ष 2020—2021) (लाख रूपये में)

प्राप्तियाँ		प्रस्तावित प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियाँ
	_	(2020-2021)	(2020-2021)
			31-12-2020
	प्रारम्भिक अवशेष	14800.00	14800.00
(ক)	रिवाल्विंग फण्ड / शासन / वित्तीय संस्थाओं से ऋण	23475.84	0.00
(ख)	औद्योगिक गलियारा हेतु भूमि क्रय के लिये उ०प्र० सरकार से प्राप्त अनुदान	0.00	5000.00
(ग)	उ०प्र० अवस्थापना विकास कोष—2014 से प्राप्त धनराशि	0.00	3860.00
(ঘ)	आवंटन	9822.14	3012.27
(च़)	लीज रेण्ट	116.09	24.85
(छ)	हस्तान्तरण शुल्क / स०वि०शु० / प्रो०शु० इत्यादि	310.00	678.96
(ज়)	मानचित्र शुल्क	60.00	226.69
(झ)	अन्य प्राप्तियाँ	750.00	519.86
(স)	रख रखाव शुल्क	1412.92	86.13
	योग :	50746.99	28208.76
व्यय		प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय
		(2020—21)	(2020–21)
(ক)	स्थापना एवं प्रकीर्ण व्यय	1536.69	617.09
(ख)	साईट अनुरक्षण सम्बन्धी व्यय	2068.15	362.07
(ग)	मास्टर प्लान / नियोजन सम्बन्धी कार्य	300.00	8.05
(ঘ)	कार्यालय भवन का निर्माण	136.00	122.74
(ঙ়)	भूमि अर्जन पर व्यय	25000.00	7096.70
(छ)	ऋण की किश्त/व्याज की अदायगी	1600.00	0.00
(ज়)	विकास सम्बन्धी व्यय	20106.15	2248.50
	योग :	50746.99	10455.15

8. कार्मिक अनुभाग गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गीडा में सृजित एवं भरे हुये पदों का विवरण

पदनाम	वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	पदों का विवरण	
		स्वीकृत पद	भरे पद
(1)	(2)	(3)	(4)
केन्द्रीयित पद			
विशेष कार्याधिकारी	_	0	1
सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन / सामान्य)	15600-39100+6600	1	1 (सम्बद्ध यूपी इन्वेस्ट)
वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल / विद्युत एवम् यांत्रिक)	15600-39100+6600	1	1
प्रबन्धक (प्रशासन / सामान्य)	15600-39100+5400	3	2
प्रबन्धक (वास्तुविद एवम् नियोजन)	15600—39100+5400	1	1 (निलम्बित)
प्रबन्धक (सिविल / विद्युत एवम् यांत्रिक)	15600-39100+5400	1	2
प्रबन्धक (सिस्टम)	15600-39100+5400	1	1 (प्रतिनियुक्ति पर तैनात)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर	15600-39100+5400	1	.0
सहायक प्रबन्धक (सिविल / विद्युत व यांत्रिक)	9300-34800+4200	6	2
सहायक प्रबन्धक (विद्युत एवम् यांत्रिक)	9300-34800+4200	2	1
लेखाकार	9300-34800+4200	2	1
प्रोग्रामर	9300-34800+4200	1	0
निजी सचिव	9300-34800+4200	1	0
वैयक्तिक सहायक	5200-20200+2800	4	4
सहायक	5200-20200+2800	8	3
आशुलिपिक	5200-20200+2400	5	0
मानचित्रक	5200-20200+2400	1	0
कनिष्ठ सहायक	5200-20200+2000	11	06
इलेक्ट्रीशियन	5200-20200+1900	1	0
योग केन्द्रीयित सेवा के पद		51	26
अकेन्द्रीयित पद			
	15600-39100+6600	1	0
प्रबन्धक(वित्त)	15600-39100+6600	1	0
प्रबन्धक (परियोजना)	15600-39100+6600	1	0
प्रबन्धक (आर्कि०एण्ड प्लानिंग)	105600-39100+6600	1	0
प्रबन्धक (उद्योग)	15600-39100+6600	1	0
प्रबन्धक (उद्यान)	15600-39100+6600	1	0
प्रबन्धक (विधि)	15600-39100+6600	1	0
उप प्रबन्धक (मेन्टीनेन्स)	15600-39100+5400	1	0
खजान्ची	5200-20200+2400	1	0
ट्रेसर	5200-20200+1900	2	0
अमीन अमीन	5200-20200+1900	2	2
चालक	5200-20200+1900	4	1
चौकीदार	5200-20200+1800	4	4
माली	5200-20200+1800	2	1
स्वीपर (फर्राश)	5200-20200+1800	2	1
चैनमैन	5200-20200+1800	2	2
चपरासी	5200-20200+1800	22	10
योग अकेन्द्रीकृत सेवा के पद		49	21
महायोग केन्द्रीयित एवम् अकेन्द्रीयित पद	योग	100	47